

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

तारीख रजू 30.12.2019

अपील संख्या 101/2019

रविन्द्र पुत्र रामप्रसाद जाति मीना निवासी नरवला तह०खण्डार।

— अपीलार्थी

बनाम

— रेस्पोंड

सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार।

निर्णय

दिनांक 14.10.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 1473/2019 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम जयलालपुरा के आराजी खसरा नम्बर 278/100 रकबा 2.00 बीघा किस्म ब०का०च० पर संवत् 2076 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण जोत लगाने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंड की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि आराजी खसरा नम्बर 278/100 रकबा 2.00 बीघा पर प्रार्थी अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। जबकि अपीलान्त की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात पास में स्थित है। प्रार्थी का कोई अतिक्रमण उक्त आराजी पर नहीं है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर नहीं दिया गया है यदि प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो प्रार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत करता। यह भी निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने एक तरफा निर्णय पारित कर अहम भूल की गयी है जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी निवेदन किया है कि पश्चातवर्ती के साथ अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय की होने से अपीलान्त को

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अपील अतिचारी नहीं माना जा सकता। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार का अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 को निरस्त करने हेतु निरस्त किया गया।

वकील पेशकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी विधिवत रूप से अपीलान्ट के अधिनस्थ को तामील हुई है जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। अपीलान्ट द्वारा तत्कालीन नूमे पर अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी अदालत मातहत की पत्रावली में सलंगन है जिससे साबित होता है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने के अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

उक्त पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है अपीलान्ट के खुले मकान पर नोटिस की एक प्रति चर्षा कर नोटिस की तामील करवाई गयी। बावजूद सूचना अपीलान्ट अदालत मातहत की समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट सुनवाई/सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत अदालत मातहत की पत्रावली में सलंगन नहीं होने के कथन से मैं पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 में बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाकर सजा माफ की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दपतर हो।

15
(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर